

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहक हुकम में</p>
<p>15/10/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वृत्तुवात्र करीबेन उपस्थित। पत्रावली से सम्बंधित अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि दिनांक 12/12/02 की माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायालय द्वारा के निर्णय दिनांक 30/1/99 को निबन्ध करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर गुणगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अवमानना प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नजर नहीं आता। पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली केसल सुमांर शेकर दामिबल इफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">JAN</p>	

सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

